



124

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र०क०

/2017 निगरानी

2532-7-17

श्री इन्द्रजीत सिंह - ८८
द्वारा आज दि. ५/१/१७ को
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अनारीलाल आर्मो पिता दयाल सिंह आर्मो उम्र-42
वर्ष निवासी ग्राम सिलुवा पोस्ट हुल्की थाना बरगी
तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) ——आवेदक

बनाम

- 1— म. प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर
- 2— श्री इन्द्रजीत सिंह ठाकुर पिता स्व. ओंकार सिंह
ठाकुर उम्र 38 वर्ष निवासी म.न. 2003 लक्ष्मीपुर
बड़ी उखरी एम.आर.फोर रोड तहसील व जिला
जबलपुर (म.प्र.) ——अनावेदकगण

दुष्पत्र कुपार सिंह
म.प्र. राजस्व माननीय राजस्व मण्डल
ग्वालियर - ४४२

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता-1959
विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय जिला जबलपुर के प्रकरण
क्रमांक 97 / अ-21 / 2016-17 में पारित आदेश दिनांक
20-1-2017 से परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन—पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:-

प्रकरण के तथ्य:-

संक्षेप में इस प्रकार है कि, आवेदक आदिवासी अनारीलाल आर्मो पिता दयाल सिंह आर्मो आयु- 42 वर्ष निवासी ग्राम सिलुवा पोस्ट हुल्की थाना बरगी तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम सिलुवा न.ब. 442 प.ह.न. 48 (हुल्की) रा.नि.म. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 51, 52, 55 रकवा 0.800, 0.930, 0.600 हैक्टर कुल रकवा 2.330 हैक्टर भूमि अनावेदक क्रमांक-2 गैर आदिवासी श्री इन्द्रजीत सिंह ठाकुर पिता स्व. ओंकार सिंह ठाकुर आयु- 38 वर्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-532-एक/17

जिला - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p><u>आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर</u></p>	